

02/12/2021

पञ्जावली पुरातन गांवों के संगे आभियान 2021 के तहत गांव पण उदपुरा या आभोजित विवि में निस्तारण हेतु लायी गई। इसके पञ्जावली का अवलोकन किया। प्राचीन ग्राम केशरपुरा प.सं. उदपुरा स्थित आरजी संख्या 269/66 रकबा 0.4300 हे. भूमि की पट्टधारणी कराना चाहती है। पञ्जावली के पालन नरमल जमावरी संवत् 2069-2072 अनुका 34त आरजी प्राचीन के नाम पर गैर खेतदारी एक से दर्ज रेकांटे हैं। अतः प्राचीन का प्राचीन पर अज्ञात धारा 128 पर अति स्वीकार किया जाकर ग्राम केशरपुरा प.सं. उदपुरा स्थित प्राचीन की खेतदारी आरजी संख्या 269/66 रकबा 0.4300 हे. भूमि की बिना किसी के कलेजे में दरखलदाजी किए बिना नये नये अनुका पट्टधारणी किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। कमिश्नर शुल्क 500-00 (न्यार रुसरे पांच सौ श्यर प्राचीन) वहन करेगी। पालन नरमल तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को लिखवा जावे कि पक्षमाशन को लिखित सूचना देकर निगमानुका पट्टधारणी को जावे एवं पालन रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे। पञ्जावली केवल शुमार होकर नगर ले कम है।

2021  
282

(श्याम सुन्दर विश्वाइ)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपरखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़  
क्र/सरिश्ता/प्रा.पत्र 60/2021/205

दिनांक 02/12/2021

तहसीलदार  
चित्तौड़गढ़

विषय : पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध में।

प्रकरण : तुलसीबाई पत्नी गोबाल चमार R10 केशरपुरा  
— पत्नी

वनाम

- 1- माण्डू उर्फ मांगीलाल पिता भागा चमार R10 केशरपुरा
- 2- मोहन S10 भेरा चमार R10 केशरपुरा
- 3- रामचन्द्र S10 पुता चमार R10 केशरपुरा

— विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

उपरोक्त विषयाकित अनवान के प्रकरण में ग्राम <sup>केशरपुरा</sup> खतौनी सं. 17  
सम्बत् 2069-2072 में अकित आराजी नम्बर 269/66  
..... कुल कित्ता ..... 1 ..... रकबा 0.4300 है. भूमि की  
नियमानुसार मौके पर विवाद रहित पाये जाने पर कब्जे में दखलन्दाजी किये बिना  
पक्षकारों को सूचना देकर सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कर दिया जावे। खर्चा कमिश्नर  
शुल्क रुपये 500.00 अक्षरे पांच सौ रुपये मात्र प्रार्थी  
वहन करेगें। पालना रिपोर्ट न्यायालय में (15 दिवस में) शीघ्र भिजावे।

(श्याम सुन्दर बिश्नाई)  
उपखण्ड अधिकारी  
उपचिट्तौड़गढ़  
चित्तौड़गढ़ (राज.)